

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 20 फरवरी, 2006/फाल्गुन 01, 1927(शक)

संख्या- 131

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, ए.सी.पी., सीलमपुर, नार्थ-ईस्ट जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री साहब सिंह चौहान तथा डॉ. हर्षवर्द्धन को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 19.02.2006 को 1125 बजे, मौजपुर चौक, पुलिस थाना, भजनपुरा, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से 1255 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday 20th February 2006/ 1 Phalgun 1927 (Saka)

No. 131

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon`ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from A.C.P, Seelam Pur, North East Distt., Delhi

“I have the honour to inform you that Shri Sahab Singh Chauhan and Dr. Harshvardhan, Hon`ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Mozpur Chowk, thana Bhajanpura Delhi at 1125 Hrs. on 19.2.2006.

He was released at 1255 Hrs. from the same place on the same date.”

Siddharath Rao
Secretary